# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 11/2024

जी.सी.एम.एस. नं.: 2024/125

1. हरमीत सिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति कम्बोसिख निवासी 2 एन.जैड.पी तहसील श्रीविजयनगर

– प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र बीरबलराम जाति नायक निवासी 2 एन.जैड.पी. तहसील श्रीविजयनगर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. **श्री प्रेम सिंह सैनी, श्री बक्शीश सिंह थिन्द, अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री सुरेन्द्र भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1**

**–:: निर्णय ::–**

**दिनांक : 31.01.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

1. प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी भूमि चक 2 एनजैडपी मु.नं. 23 कि.नं. 16 ता 19, 22 ता 25 व मु.नं. 26 कि.नं. 2, 9 व मु.नं. 25 कि.नं. 6/1, 6/2, 14, 17/2 की कुल 3.163है. भूमि में आवागमन एवं कृषि उपज व कृषि औजारों को लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 की भूमि में चल रहे रास्ते चक 2 एनजैडपी मु.नं. 23 प.नं. 199/369 कि.नं. 1,10,11,20 में से कि.नं. 19 की हद तक 1–1 बिस्वा रास्ता आम स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2024/3377 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं. 1 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी की भूमि दो हिस्सों में बंट जायेगी। इसके अलावा प्रार्थी के रकबा में पूर्व से ही एक आड़ चली आ रही है चूंकि एक ही बीघा में रास्ता व खाला नहीं दिये जा सकते इसलिए भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता रजस्थान काश्तकारी नियमों के विपरीत होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी के पास अपने रकबे में आने जाने के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग है जिसके द्वारा प्रार्थी अपने रकबा में प्रवेश कर रहा है। मार्ग मंजूर किया जाता है तो सिंचाई व्यवस्था में व्यवधान होगा और खाला टूटने का भय बना रहेगा। मु.नं. 199/369 एवं 199/370 बीघा नं. 22–23–24–25 एवं कि.नं. 2–3–4–5 दोनों मुरब्बों में हरचन्द पुत्र बीरबलराम की 8.00 बीघा भूमि है जिसके आने जाने के लिए अप्रार्थी द्वारा अपने कि.नं. 1 में घरेलू रास्ता दिया हुआ है। यदि रास्ता मंजूर किया जाता है तो अप्रार्थी की भूमि कम हो जावेगी एवं 3 टुकड़ों में बंट जावेगी। मु.नं. 199/369 व मु.नं. [illegible] में हरमीत सिह व हरबंश सिंह दोनों का रकबा चिपता है जिससे आपस में रकबा ले–देकर रास्ता स्वीकृत करवा सकते है। पटवारी रिपोर्ट में [illegible] रास्ता ही मंजूर करने से रकबा राज की भूमि भी रास्ता काम में आ जायेगी। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता नामंजूर करते हुए वैकल्पिक रास्ता मंजूर किया जावे। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।
3. प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ते की परम आवश्यकता है। प्रार्थी को अपने रकबे में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:30:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी को अपने खेत में पंहुचने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर नहीं चला रहा है न ही कोई अस्थाई रास्ता है। रिपोर्ट में भू.अ.नि. के द्वारा प.नं. 199/370 कि.नं. 10,11,20,21 में उत्तर से दक्षिण पश्चिम की तरफ वैकल्पिक रास्ता प्रस्तावित किया गया है। चाहे गये रास्ते में फसल काश्त है विकल्प का रास्ता खाली है।

4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपने बहस में कथन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रार्थी को चाहा गया रास्ता ही स्वीकृत किया जावे, प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि अप्रार्थी को देने के लिए तैयार है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता नहीं कर रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार वैकल्पिक रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। यदि अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी की भूमि दो हिस्सों में बंट जावेगी। अप्रार्थी लघु काश्तकार है रास्ता स्वीकार होने से भूमि ओर कम हो जावेगी। अप्रार्थी की भूमि में कभी रास्ता चालू नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि चक 2 एनजैडपी मु.नं. 23 प.नं. 199/369 कि.नं. 1,10,11,20 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार एवं प्रस्तुत नक्शा अनुसार प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा की गयी नवीन मार्ग स्वीकृत करने की मांग अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती है। भू.अ.नि. द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता एवं प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृतशुदा मार्ग से लगभग एक समान दूरी पर स्थित है। अतः प्रार्थी द्वारा की गयी रास्ता की मांग निकटतम मार्ग है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही स्वीकृत करने के लिए निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में चूंकि प्रार्थी को अपनी भूमि में प्रवेश हेतु स्वीकृतशुदा मार्ग उपलब्ध नहीं है व रास्ता की मांग अत्यांतिक आवश्यक्ता है, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**–: आदेश :–**

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 सत्यनारायण की खातेदारी भूमि चक 2 एनजैडपी मु.नं. 23 प.नं. 199/369 कि.नं. 1,10,11 प्रत्येक में उत्तर से दक्षिण पश्चिमी पासा 1–1 बिस्वा तथा कि.नं. 20 में पश्चिम से पूर्व उत्तरी पासा में 1 बिस्वा गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि की एवज में अप्रार्थी की रास्ते में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रतिकर की गणना कर प्रार्थी से नियमानुसार राशि जमा करवा स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा अप्रार्थी को जमाशुदा प्रतिकर राशि का भुगतान करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

**निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 31 मार्च 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.04.07 09:30:38 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Scanned with CamScanner